उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग

(संसद द्वारा पारित कानून एनसीपीसीआर 2005 के अंतर्गत)
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक– 523/SCPCR.UK/2017–18 | दिनांक– 26/08/2017

निविदा–सूचना

उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, निकट–नन्दा की चौकी, विकासनगर रोड़, देहरादून में वर्ष 2017–18 के लिए मासिक एवं दैनिक आधार पर किराए के वाहन आपूर्ति हेतु स्थानीय पंजीकृत फर्म/एजेन्सियों से मुहरबन्द द्वि–बिड (तकनीकी/वित्तीय) निविदाएँ रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/कार्यालय काउन्टर पर जमा द्वारा दिनांक 29/08/2017 से 11/09/2017 अपराह्न 2:00 बजे तक आयोग कार्यालय में आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र एवं शर्तें आयोग की वेबसाइट–**www.scpcruk.org.in** एवं **www.uktenders.gov.in** में देखे/डाउनलोड किये जा सकते है। प्राप्त निविदायें आयोग द्वारा गठित समिति के समक्ष दिनांक 11/09/2017 को अपराह्न 03:00 बजे खोली जायेगी। इच्छुक निविदादाता निविदा खोलते समय उपस्थित रह सकते है। डाक में विलम्ब के लिये आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

(डॉ0 शक्ति प्रसाद सेमवाल)
अनुसचिव

1. परिचय

उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, निकट–नन्दा की चौकी, सुद्धौवाला, विकासनगर रोड, देहरादून के कार्यालय प्रयोगार्थ विभिन्न प्रकार के डीजल चलित वाहनों को मासिक एवं दैनिक आधार पर वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए देहरादून के अनुभवी व पंजीकृत ट्रैवल्स एजेन्सियों/ट्रान्सपोर्टरों से मोहरबन्द निविदाएं आमन्त्रित की जाती है।

2. निविदा प्रपत्रों का क्रय–विक्रय एवं जमा किया जाना

टैक्सी/वाहन व्यवस्था हेतु **निविदा प्रपत्र का मूल्य निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0.300/– (रू0.तीन सौ मात्र) निर्धारित है।** प्रपत्र/शर्तें आयोग की वेबसाईट www.scpcruk.org.in में देखे/डाउनलोड किए जा सकते है। डाउनलोड किए गए प्रपत्रों के साथ प्रपत्र मूल्य का बैंक ड्राफ्ट अनुसचिव, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, देहरादून के पदनाम से संलग्न करना अनिवार्य है। निविदा दिनांक 11/09/2017 को अपराह्न 02:00 बजे तक ही जमा किये जा सकते है। प्राप्त निविदायें दिनांक 11/09/2017 को अपराह्न 03.00 बजे आयोग द्वारा गठित समिति के समक्ष खोली जायेगी।

निविदा से सम्बन्धित किसी भी जानकारी एवं शंका–समाधान हेतु दिनांक 29/08/2017 से 11/09/2017 अपराह्न 02:00 बजे तक उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस पर भ्रमण कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

3. निविदा प्रपत्रों को तैयार किया जाना

निविदा के दो भाग होगें तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा। निविदादाताओं की अहर्ता अनुभव तथा धरोहर राशि आदि से सम्बन्धित समस्त अभिलेख तकनीकी निविदा के स्वच्छ एवं पूर्ण रूप से तैयार विवरण (प्रपत्र–1) के साथ एक लिफाफे में रखे जायेगें, जिसके बाहर स्पष्ट अक्षरों में "तकनीकी निविदा" एवं एजेन्सी का नाम अंकित होगा। वित्तीय निविदा में केवल प्रपत्र–2 पर विभिन्न श्रेणियों के वाहनों हेतु किराये की दरें अंकित की जायेगी। इस प्रपत्र को एक अन्य लिफाफे में रखा जायेगा जिस पर "किराये के वाहनों हेतु निविदा" तथा निविदादाता का नाम लिखा जायेगा।

4. निविदा का चयन

तकनीकी निविदा के परीक्षण के उपरान्त केवल तकनीकी रूप से अर्ह पाये गये निविदादाताओं की वित्तीय निविदायें खोली जायेंगी, जिसके लिए समय निविदा समिति द्वारा निर्धारित किया जायेगा। इस हेतु निविदादाताओं को समय से सूचित करा दिया जायेगा। बिना कारण बताये समस्त या किसी भी निविदा को निरस्त किये जाने का अधिकार अध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सुरक्षित होगा।

(डॉ. शक्ति प्रसाद सेमवाल)
अनु सचिव
बाल अधिकार संरक्षण आयोग

5. निविदा की शर्ते निम्नानुसार है:–

निविदादाताओं पर निम्नलिखित नियम एवं शर्ते प्रतिपादित होंगी तथा उनकी पुष्टि में आवश्यक प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

1. निविदादाता को उत्तराखण्ड राज्य के देहरादून क्षेत्र में किराये की टैक्सी उपलब्ध करवाने सम्बन्धी सेवा हेतु पंजीकृत ट्रैवल एजेन्सी होना चाहिए।

2. आयकर अदायगी का प्रमाण–पत्र एवं पैन नम्बर की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जानी आवश्यक है।

3. सेवा कर का पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. श्रम विभाग का पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. फर्म के पास वर्ष 2014 के क्रय वर्ष या उसके बाद कम से कम 02 वाहन टैक्सी के रूप में पंजीकृत होने अनिवार्य है, जो फर्म स्वामी/वाहन स्वामियों के नाम पंजीकृत हों। क्रय प्रमाण–पत्र तथा वाहन स्वामियों का अनुबन्ध पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

6. **धरोहर राशि (Earnest Money)**–निविदा प्रपत्र के साथ **रू0.15,000.00 (रू0.पन्द्रह हजार मात्र) धरोहर राशि के रूप में जमा करना अनिवार्य है।** बिना धरोहर राशि के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। धरोहर राशि की एफ0डी0आर0 **अनुसचिव, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, देहरादून** के पक्ष में बन्धन (Pledged) होनी चाहिए। जो कि निविदा खोलने के पश्चात् कम से कम तीन माह तक वैध हो। धरोहर राशि किसी एजेन्सी को किन्ही विशिष्ट प्राविधानों के तहत् छूट की स्थिति में एजेन्सी को तत्सम्बन्धी प्रमाण संलग्न करना होगा। असफल निविदादाताओं की धरोहर राशि शीघ्र वापस की जायेगीं।

7. **जमानत धरोहर राशि (Security Money)**–अनुबन्ध के समय फर्म को **जमानत राशि के रूप में रू0.30,000/–(रू0.तीस हजार मात्र) का बन्धक पत्र** के रूप में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से बनाकर **"अनुसचिव, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, देहरादून "** के पदनाम से प्रस्तुत करना होगा।

8. आपूर्ति की जाने वाली वाहन उचित गुणवत्ता (**Excellent Condition**) वाली होनी चाहिए। वाहन आन्तरिक साज–सज्जा यथा–सीट कवर, तौलिया, पढ़ने के लिए बिजली, फुटमैट आदि उत्कृष्ट क्वालिटी की होनी आवश्यक है।

9. वाहन में किसी भी प्रकार की कमी के चलते बदले जाने हेतु कहने पर वाहन तत्काल बदलना अनिवार्य होगा। यदि सफल निविदादाता तत्काल वाहन उपलब्ध नहीं कराता है तो ऐसी दशा में अन्य फर्मो से वाहन लिया जायेगा यदि अन्य फर्म द्वारा अनुबन्धित दरों से अधिक बिल प्रस्तुत किया जाता है तो अन्तर धनराशि का भुगतान/समायोजन अनुबन्धित फर्म के बिलों से ही किया जायेगा।

10. वाहन पर तैनात किये जाने वाला चालक वैध व्यवसायिक लाईसेन्स धारक होना चाहिए तथा चालक का ड्यूटी के दौरान नियमानुसार वर्दी से होना आवश्यक है। वाहन का

(डॉ. शक्ति प्रसाद सेमवाल)

चालक चलाने की दृष्टि से हृष्ट–पुष्ट **(Medically Fit)** एवं पर्याप्त अनुभवी और वाहन चलाने में दक्ष होना चाहिए।

11. चालक का आचरण मृदुभाषी, अनुशासित होना अपरिहार्य है।

12. वाहन के टायर, बैट्री, हैडलाईट, बीम, ब्रैक, इन्डिकेटर, वाईपर, शीशा, दरवाजे एवं अन्य समस्त एसेसरीज उचित एवं उत्कृष्ट गुणवत्ता के होने चाहिए।

13. वाहन नियमानुसार सम्भागीय/उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है। तकनीकी निविदा के साथ वाहन के समस्त प्रपत्र यथा–पंजीकृत, परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण–पत्र आदि वैध संलग्न करना अनिवार्य होगा। पंजीयन शुल्क, परमिट शुल्क, फिटनेस शुल्क, मोटर वाहन कर, बीमा, चालक/स्टाफ की वर्दी (सफेद सफारी सूट, पी कैप) चालक लाईसेन्स आदि पर व्यय सभी प्रकार से सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किये जायेगें।

14. आपूर्ति की जाने वाली वाहन मोटरयान अधिनियम 1985 के अन्तर्गत ऑल इण्डिया परमिट से आच्छादित होगा। किसी भी निजी वाहन **(Non Transport Vehical)** की आपूर्ति नहीं की जायेगी।

15. आपूर्तिकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ऐसे चालक, जो नशे के सेवन का आदि हो, को वाहन पर सेवायोजित नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार ऐसे चालक, जो नशे का सेवन कर वाहन चलाने अथवा खतरनाक ढंग से वाहन चलाने अथवा किसी पुलिस वाद आदि में दोषी पाया गया हो, को भी वाहन में सेवायोजित नहीं किया जायेगा। विभाग द्वारा किसी चालन के सम्बन्ध में पुलिस सत्यापन प्रमाण–पत्र की अपेक्षा की जा सकती है।

16. सम्बन्धित विभाग के अधिकारी, जिनके द्वारा वाहन किराये पर लिया गया है, द्वारा वाहन के किसी ऐसे चालक, जो अपने कर्तव्यों का पालन उचित ढंग से करने में असमर्थ है अथवा उनका आचरण एवं कार्य सन्तोषजनक नहीं है, को हटाने हेतु आपूर्तिकर्ता को निर्देशित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आपूर्तिकर्ता को तत्काल दूसरे चालक/स्टाफ की व्यवस्था करनी होगी।

17. आपूर्ति कर्ता द्वारा विभाग द्वारा मांगे जाने वाले वाहन की उपलब्धता 01 सप्ताह के अन्दर की जानी अनिवार्य होगी'; यदि आपूर्ति कर्ता उक्त वाहन को उक्त अवधि में उपलब्ध नहीं करवाता है तो अनुबन्ध को तत्काल प्रभाव से बिना किसी नोटिस के निरस्त किये जाने का अधिकार अध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास निहित होगा।

18. मार्ग में होने वाले किसी भी प्रकार की क्षति अथवा अप्रत्याशित घटना/दुर्घटना के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। मार्ग में दुर्घटना की स्थिति में किसी प्रकार के चिकित्सा बीमा, मुआवजा एवं अन्य विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जायेगा।

(डॉ. शक्ति प्रसाद सेमवाल)
अनु सचिव
बाल अधिकार संरक्षण आयोग

19. आपूर्तिकर्ता का यह दायित्व होगा कि चालक के पास पर्याप्त धनराशि **(Imprest Cash)** उपलब्ध हो ताकि यात्रा के दौरान ईंधन, मरम्मत अथवा वाहन सम्बन्धित अन्य व्यय किया जा सके।

20. मार्ग/यात्रा के दौरान वाहन में किसी प्रकार की खराबी **(Break Down)** होने पर आपूर्तिकर्ता को तत्काल अन्य वाहन की व्यवस्था अपने व्यय पर करनी होगी। यदि किसी समय आपूर्तिकर्ता वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने में असफल रहता है तो विभाग आपूर्तिकर्ता के व्यय पर वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने के लिए अधिकृत होगा।

21. आपूर्तिकर्ता अथवा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विशिष्ट अतिथियों के निवास/कार्यालय/कालोनी से सम्बन्धित उत्तराखण्ड सरकार के सुरक्षा मानकों का अनुपालन किया जायेगा।

22. आपूर्तिकर्ता अथवा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सम्बन्धित अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि से सम्पर्क रखा जायेगा तथा ड्यूटी के समयबद्ध संचालन हेतु उनके द्वारा दिये गये अनुदेशों का पालन किया जायेगा।

23. वाहन का प्रयोग राज्य के भीतर एवं बाहर कहीं भी किया जा सकता है।

24. आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी भी दशा में कार्य को पुर्नठेके **(Sub Let)** पर नहीं दिया जायेगा।

25. ईंधन की आपूर्ति का व्यय दैनिक/मासिक (जैसी भी स्थिति हो) लॉगबुक के आधार पर विभाग द्वारा की जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता को वाहन में नियमित रूप से लॉगबुक रखना आवश्यक होगा। दैनिक आधार पर वाहन संचालन की प्रविष्टि करते हुए उसे सक्षम अधिकारी से पदनाम की मोहर सहित अभिप्रमाणित से सत्यापित कराकर छायाप्रति द्वारा अभिप्रमाणित किये प्रस्तुत देयक का भुगतान नहीं किया जायेगा।

26. वाहन में लॉगबुक के अतिरिक्त एक शिकायत/सुझाव पुस्तिका भी रखना आवश्यक होगा।

27. वाहन में नियमानुसार अपनी टूल किट, फर्स्ट एड बॉक्स, आग बुझाने का यंत्र भी आपूर्तिकर्ता द्वारा स्वयं के व्यय पर रखना आवश्यक है।

28. निविदा की दरें 31 मार्च, 2018 तक लिए मान्य होगीं तथा आपसी सहमति अथवा आगामी निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने तक अवधि बढ़ाई जा सकती है।

29. वाहन की सेवा समय से एवं गुणवत्ता पूर्ण नहीं होने की दशा में नोटिस देते हुए अनुबन्ध निरस्त करने एवं जमानत धनराशि जब्त करने तथा विभाग में ब्लैक लिस्ट करने का अधिकार अध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, देहरादून में निहित होगा।

(डॉ. शक्ति प्रसाद सेमवाल)

30. पूर्व में विभाग में सम्बन्धित फर्मो द्वारा सेवायें दी गयी हो तथा वर्तमान में निविदा डाली जाती है तो उनके द्वारा दी गयी सेवाओं के मूल्यांकन/समीक्षा के आधार पर सन्तोषजनक कार्य नहीं पाये जाने की दशा में विभाग उस फर्म की न्यूनतम **(L-1)** दर होने पर अनुबन्धित किये जाने हेतु बाध्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित फर्म किसी प्रकार का दावा नहीं करेगा।

31. फर्म द्वारा सेवाकर/आयकर जमा करने का प्रमाण–पत्र भी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

6. <u>भुगतान की स्थिति:–</u>

(क)– किराये का भुगतान बिल प्रस्तुत करने के एक माह के अन्तराल में किया जायेगा। बिल के साथ यात्रा करने वाले अधिकारी का नाम, यात्रा प्रारम्भ का स्थान व समय, यात्रा प्रारम्भ का मीटर रीडिंग, गन्तव्य स्थान, गन्तव्य स्थान से वापसी का दिनांक व समय, स्थान, यात्रा समाप्ति का मीटर रीडिंग तथा कुल तय की गई दूरी किलोमीटर आदि विवरण संलग्न करना होगा। लॉगबुक में तदानुसार प्रविष्टियाँ की जायेगी। सम्बन्धित अधिकारी लॉगबुक की प्रविष्टियों को भी सत्यापित करेगा। यात्रा प्रारम्भ का स्थान कार्यालय अथवा अधिकारी का निवास स्थान जैसी भी स्थिति हो माना जायेगा। वाहन चालक को किसी भी प्रकार के व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(ख)– आयकर नियमों के अनुसार भुगतान के समय आयकर (**TDS**) की कटौती फर्म के देयक से की जायेगी।

7. <u>सेवा प्रदान करने में विलम्ब हेतु शासित/दर अनुबन्ध का निरस्तीकरण</u>

निम्नलिखित अवसरों पर कार्यप्रभारित प्रतिभूति को जब्त करते हुए दर पंजीकरण को समाप्त कर दिया जायेगा।

(क)– यदि आपूर्तिकर्ता द्वारा तीन बार समय पर वाहन उपलब्ध कराने में विफल रहता है।

(ख)– आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं संतोषजनक नहीं है।

8. <u>वित्तीय बिड:–</u>

वित्तीय बिड इस प्रपत्र में संलग्न प्रपत्र–2 पर तैयार की जायेगी। वित्तीय निविदा में मूल दर तथा कर आदि अलग–अलग स्पष्ट प्रदर्शित की जायेगी। डीजल चालित वाहनों के प्रकार के अनुसार दूरी (कि0मी0) दिन आदि मानकों को ध्यान में रखते हुए दरें अंकित की जाये। दर शब्दों में भी स्पष्ट लिखा होना चाहिए। वाहनों में अम्बेसेडर, टाटा इंडिका, मारूती एसएक्स–4 डीजल, स्कॉर्पियों, इनोवा, टैवेरा, बुलैरो, इंडिगो(सीएस) एवं स्विफ्ट डिजायर डीजल आदि को प्राथमिकता दी जायेगी। प्रपत्र–2 के टिप्पणी कॉलम में मानकों के अनुसार दरों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जा सकती है। समस्त गाडियां देहरादून से बाहर जाने पर **रू0.200**/– प्रति रात्रि विश्राम देय होगा।

9. <u>कर एवं अन्य देयकों का भुगतान:–</u>

(क)– सभी प्रकार टोल टैक्स, प्रवेश कर, पार्किंग चार्ज आदि का भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जायेगा और उसकी प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा की जायेगी।

(डॉ. शक्ति प्रसाद सेमवाल)

(ख)– अन्य राज्यों में वाहन के आवागमन की स्थिति में अन्य प्रदेशों के कर आदि का भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जायेगा और उसकी प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा की जायेगी।

10. आपूर्तिकर्ता द्वारा कार्य के सम्बन्ध में विभिन्न अधिनियमों/नियमों यथा श्रम अधिनियम, न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम, पी0एफ0, ई0एस0आई0 मोटरयान अधिनियम आदि में विहित व्यवस्थाओं/नियमों/औपचारिकताओं का अनुपालन किया जायेगा। (जहाँ लागू हों)

11. फर्म का वार्षिक टर्नओवर चार्टेड एकाउन्टेंट (सी0ए0) द्वारा जारी विगत वर्ष 2013–14, 2014–15 तथा 2015–16 में कम से कम रू0.15 लाख (रू0. पन्द्रह लाख मात्र) हो, (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

मैं श्री .... पुत्र श्री.. फर्म/स्वामी.............. .... घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा शर्त के अनुरूप दी गयी सभी जानकारी सही है। यदि किसी प्रकार की कोई असत्यता पायी जाती है तथा निविदा निरस्त की जाती है, तो उसके लिए मैं स्वयं उत्तरादायित्व होउँगां।

स्थानः–..
दिनांकः..

निविदादाता के हस्ताक्षरः–..
निविदादाता का नाम..
फर्म का नाम..
पूरा स्थाई पता..
फोन नं0 कार्यालय..
मोबाईल फोन नं0..

(डॉ. शक्ति प्रसाद सेमवाल)
अनु सचिव
बाल अधिकार संरक्षण आयोग
उत्तराखण्ड, देहरादून

तकनीकी बिड

1. नाम निविदादाता/फर्म का नामः– ....
2. पताः–..
3. श्रम विभाग का पंजीयन संख्या...(प्रमाण पत्र संलग्न करें)
4. सर्विस टैक्स पंजीयन संख्या...(प्रमाण पत्र संलग्न करें)
5. पैन नम्बर संख्या...(प्रमाण पत्र संलग्न करें)
6. अर्नेस्ट मनी रू0 15,000/–(रू0 पन्द्रह हजार मात्र)
   (अ) बैंक गारन्टी/बैंक ड्राफ्ट संख्याः–.........................(ब) दिनांक.....................................
   (स) धनराशि.. (द) बैंक शाखा का नामः–................................
7. फर्म के पास वर्ष 2014 के क्रय वर्ष या उसके बाद के कम से कम 02 वाहन टैक्सी के रूप में पंजीकृत होने अनिवार्य है, जो फर्म/वाहन स्वामियों के नाम पंजीकृत हों। क्रय प्रमाण–पत्र, इन्शोरेन्स, प्रदूषण प्रमाण–पत्र, फिटनैस प्रमाण–पत्र तथा वाहन स्वामियों का फर्म के साथ अनुबन्ध पत्र निम्न विवरण के अनुसार संलग्न करना अनिवार्य है।

क्र0 सं0	वाहन का प्रकार	पंजीयन सं0	मेक वर्ष	वाहन स्वामी का नाम	वाहन की फिटनेस वैध अवधि	इन्शोरेन्स की वैध अवधि
1	इंडिगो					
2	टाटा इंडिका					
3	एस.एक्स–4					
4	स्कॉर्पियो					
5	इनोवा					
6	टैवेरा					
7	बूलैरो					
8	स्विफ्ट डिजायर डीजल					

8. फर्म को वर्ष (2013–14, 2014–15, 2015–16) में से किसी भी 01 वर्ष का अर्द्धसरकारी /सरकारी कार्यालयों/अन्य संस्थाओं से गुणवत्ता पूर्ण सेवा का अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
9. (अ)–फर्म स्वामी द्वारा स्थायी पते हेतु प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
   (ब)–वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में आयकर रिटर्न की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायी जायेगी।
   (स)–फर्म के पंजीयन की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायी जायेगी।
   (द)–मान्यता प्राप्त प्रदूषण केन्द्र से समस्त वाहनों का प्रदूषण रहित प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
   (च)–फर्म का वार्षिक टर्नओवर चार्टेड एकाउन्टेन्ट (सी0ए0) द्वारा जारी वर्ष 2013–14, 2014–15 एंव 2015–16 में कम से कम रू0.15 लाख (रू0 पन्द्रह लाख मात्र) का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
   (छ)–उपरोक्त क्रमांक 01 से 09 के सम्बन्ध में प्रत्येक जानकारी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी। किसी भी कमी के अभाव में निविदा निरस्त की जा सकती है।
   (ज)–निविदा निरस्त करने के समस्त अधिकार अध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्य, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, देहरादून में निहित होगें।

(डॉ. शक्ति प्रसाद सेमवाल)
अनु सचिव

(झ)– न्यायिक वाद का क्षेत्र मुख्यालय देहरादून होगा।

मैं श्री .... पुत्र श्री.. फर्म/स्वामी... .... घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा शर्त के अनुरूप दी गयी सभी जानकारी सही है। यदि किसी प्रकार की कोई असत्यता पायी जाती है तथा निविदा निरस्त की जाती है, तो उसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगां।

स्थानः–..................................

दिनांक:..................................

निविदादाता के हस्ताक्षरः–..............................

निविदादाता का नाम......................................

फर्म का नाम..

पूरा स्थाई पता..

फोन नं0 कार्यालय..

मोबाईल फोन नं0..

(डॉ. शक्ति प्रसाद सेमवाल)

अनु सचिव

बाल अधिकार संरक्षण आयोग

उत्तराखण्ड, देहरादून

<u>वित्तीय बिड</u>

<u>(प्रत्येक कॉलम की दरें भरी जनी वांछनीय है।)</u>

1. नाम निविदादाताः–..
2. पताः–..
3. फर्म का नामः–..
4. फर्म का पताः–..
5. निविदादाता का स्थायी पताः–..
6. प्रस्तावित किराया (सर्विस टैक्स अतिरिक्त)
7. प्रत्येक वाहन में 60 किमी0 तक तय दूरी ईंधन की खपत प्रति दिन फ्री होगें। जिसका व्यय वाहन किराए की दरों में सम्मिलित होगा। उसके अतिरिक्त वाहन प्रयोग किए जाने पर ईंधन की खपत प्रति किमी0 / ली0 से देय होगी।

क्र0 सं0	वाहन का प्रकार	फ्री 60 किमी0 के बाद ईंधन की खपत पर प्रति किमी0 / ली0		मसिक आधार पर किराये की दरें (रू0.में ईंधन रहित)		ईंधन की खपत कि0मी0 / ली0		दैनिक आधार पर किराये की दरें (रू0. मे ईंधन रहित)	
1	2	3		4				5	
		AC	NON-AC	AC	NON-AC	AC	NON-AC	AC	NON-AC
1	इंडिगो								
2	टाटा इंडिका								
3	एस.एक्स–4								
4	स्कॉर्पियो								
5	इनोवा								
6	टैवेरा								
7	बूलैरो								
8	स्विफ्ट डिजायर डीजल								

डीजल की खपत उक्त अनुपात के अनुसार कुल चले गये किलोमीटर के आधार पर आंगणित किया जायेगा एवं तत्समय के बाजार दरों के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

मैं लिखित रूप से अपनी सहमति देता हूँ कि निविदा की सभी नियम व शर्ते मुझे मान्य हैं तथा उपरोक्त दर्शायी गई दरों पर वाहन आपूर्ति के लिये मैं इच्छूक हूँ। यदि मुझे स्वीकृत आदेश निर्गत किया जाता है तो मै रू0.100/– (रू0 एक सौ मात्र) के गैर अदालती पेपर पर औपचारिक अनुबन्ध पत्र भरने के लिये सहमत हूँ।

स्थानः–..............................

दिनांकः..............................

निविदादाता के हस्ताक्षरः–..............................

निविदादाता का नाम..............................

फर्म का नाम..............................

पूरा स्थाई पता..............................

फोन नं0 कार्यालय..............................

मोबाईल फोन नं0..............................

(डॉ. शक्ति प्रसाद सेमवाल)
अनु सचिव